सप्तदश

बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि $\frac{\text{26 फाल्गुन, 1946 (श०)}}{\text{17 मार्च, 2025 (ई०)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या 118

(1)	गृह विभाग	..	..	..	62
(2)	सामान्य प्रशासन विभाग	..	..	..	10
(3)	वित्त विभाग	..	..	..	09
(4)	उद्योग विभाग	..	..	..	12
(5)	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	..	..	..	14
(6)	गन्ना उद्योग विभाग	..	..	..	04
(7)	निर्वाचन विभाग	..	..	..	01
(8)	सूचना प्रावैधिकी विभाग	..	..	..	02
(9)	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	..	..	..	04
				कुल योग --	118

स्मृति भवन घोषित करना

'क'-*427. श्री प्रणव कुमार (मुंगेर)--क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के सदर प्रखंड के शंकरपुर पंचायत स्थित पीर पहाड़ की चोटी पर अवस्थित भवन जहाँ नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा गीतांजलि की रचना किया गया था, उस भवन को लोग टी0वी0 स्टेशन के नाम से जानते हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त भवन को रविंद्रनाथ स्मृति भवन घोषित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*1128. श्री विजय कुमार खेमका (पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत पूर्णियाँ पूर्व प्रखंड के वीरपुर में प्राचीन दुर्गा मंदिर का परिसर लगभग 3 एकड़ का है, जहाँ हजारों श्रद्धालु प्रत्येक दिन दर्शन करने आते हैं, मंदिर परिसर की चहारदीवारी नहीं रहने के कारण वहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है तथा भू-माफिया द्वारा बराबर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मंदिर परिसर की चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*1129. श्री अजय यादव (अतरी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखंड खिजरसराय के ग्राम पंचायत, हेमारा के ग्राम-पनहरी में मुस्लिम समुदाय का कब्रिस्तान है, जिसकी घेराबन्दी सरकार के द्वारा आजतक नहीं करायी गयी है, जिसके कारण हिन्दू एवं मुस्लिम समुदाय में जमीन के विवाद के कारण बराबर तनाव एवं दंगा होने की संभावना बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त ग्राम के कब्रिस्तान की घेराबन्दी जनहित के लिए करवाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

उचित सम्मान एवं मासिक पेंशन देना

*1130. श्री अजीत कुमार सिंह (डुमरांव)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जयप्रकाश नारायण (जे0पी0) आंदोलन के दौरान भूमिगत रहे आंदोलनकारियों को प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह तथा पेंशन देने की योजना है किन्तु बक्सर जिले में इसके लिए गठित त्रि-सदस्यीय समिति द्वारा चिह्नित आंदोलनकारियों को अभीतक इसका लाभ नहीं मिला है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पात्र आंदोलनकारियों को उचित सम्मान एवं मासिक पेंशन देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण करना

*1131. श्री जितेंद्र कुमार (अस्थावां)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि --

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत सरमेरा प्रखंड के ग्राम-इसुआ में एक बड़ी आबादी रहती है एवं एक बड़े टाल क्षेत्र में कृषि उत्पादन करती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बड़ी आबादी एवं टाल क्षेत्र के कृषि उत्पादन की सुरक्षा हेतु कोई इंतजाम नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्राम-इसुआ में एक ओ0पी0 का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'क'-दिनांक 7 मार्च, 2025 को सदन द्वारा पर्यटन विभाग से मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में स्थानान्तरित।

उद्योग लगवाना

*1132. श्री संजीव कुमार (परबत्ता)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड के परबत्ता औद्योगिक क्षेत्र में 100 एकड़ जमीन में अभी सिर्फ 30 एकड़ जमीन इंडियन ऑयल को दिया गया है एवं अभी भी 70 एकड़ जमीन खाली है ;

(2) क्या यह बात सही है कि यहाँ मक्का, केला, कपास, मखाना से जुड़े उद्योग यहाँ लग सकते हैं जिससे इस क्षेत्र के लाखों किसानों को आर्थिक लाभ मिल सकेगा ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त स्थान पर मक्का एवं केला का उद्योग लगवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विचार करना

*1133. श्री छत्रपति यादव (खगड़िया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला के खगड़िया सदर पुलिस अनुमंडल अंतर्गत मोरकाही थाना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों जैसे माडर उत्तरी, माडर दक्षिणी, भदास उत्तरी एवं भदास दक्षिणी, पुरानी पंचायत कोठिया, कासिमपुर को हटाकर नवसृजित अलौली पुलिस अनुमंडल में समावेश किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही कि भदास उत्तरी एवं भदास दक्षिणी पंचायत, कोठिया पंचायत (पूर्व) मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पड़ता था जिसका दूरी 5 से 7 किलो मीटर थी जबकि उक्त पंचायतों को गंगौर थाना क्षेत्र में जोड़ दिया गया है जिसकी दूरी 10 से 12 किलो मीटर पड़ती है जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर असर पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उतर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भदास उत्तरी एवं भदास दक्षिणी तथा बछौता पंचायत को मुफस्सिल थाना तथा पुरानी पंचायत कोठिया (अब नगर परिषद् क्षेत्र खगड़िया) को नगर थाना क्षेत्र खगड़िया में जोड़ने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*1134. श्री इजहारूल हुसैन (किशनगंज)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत पोठिया प्रखंड के दामलबाड़ी पंचायत के दामलबाड़ी बाजार, प्रखंड मुख्यालय पोठिया बाजार और छत्तरगाछ पंचायत के छत्तरगाछ बाजार एक बहुत ही बड़ा व्यापारिक स्थल है, किन्तु यहाँ भारतीय स्टेट बैंक (S.B.I) का कोई भी शाखा नहीं रहने कारण आमजनता को मुद्रा आदान-प्रदान करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थानों में भारतीय स्टेट बैंक (S.B.I) की शाखा खोलवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1135. श्री ललन कुमार (पीरपैंती)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती प्रखंड के परसबन्ना पंचायत के मिरधाबासा ग्राम के थाना सं0-111, खाता-398, खेसरा-1225 में अवस्थित मिरधाबासा कब्रिस्तान काफी संवेदनशील एवं मिश्रित आबादी में है, जिसकी अबतक घेराबंदी नहीं हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मिरधाबासा कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने के कारण असामाजिक तत्व कब्रिस्तान पर से आया-जाया करते हैं, जिससे कभी-कभी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान को प्राथमिकता सूची में शामिल करते हुए घेराबंदी कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*1136. श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव (पिपरा, पूर्वी चम्पारण)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत तेतरिया बाजार में केन्द्रीयकृत बैंक नहीं होने से स्थानीय लोगों को बैंकिंग लेन-देन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त बाजार में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई कराना

*1137. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (आरा)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 4 जनवरी, 2025 को प्रकाशित शीर्षक ''अपराध में पैंतरे सिखा फील्ड में उतारे जाते हैं बच्चे, सरगना इन पर रखते पैनी नजर'' को ध्यान में रखते हुए, क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार के गरीब वर्ग के बच्चों को फैक्ट्री में काम दिलाने के नाम पर आपराधिक सरगना बच्चों को मोबाइल की चोरी एवं छिनतई का प्रशिक्षण देकर उनसे चोरी एवं आपराधिक घटनाएँ करा रहे हैं, जिसके तार पं0 बंगाल, झारखंड एवं पटना के विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मामलों के संबंध में पुलिस प्रशासन मौन है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य में गरीब वर्ग के बच्चों को अपराधी बनाने वाले सरगना पर कार्रवाई करने के साथ ही बच्चों को अपराधी बनने से बचाने हेतु कौन-सा कदम उठाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई कराना

*1138. श्री अखतरूल ईमान (अमौर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत प्रखंड फतुहा के ग्राम-गोविन्दपुर ईमलीतल में वक्फ बोर्ड की भूमि पर निर्मित मदरसा इमामबाड़ा मस्जिद एवं कब्रिस्तान की भूमि जिसका खाता नं0-128 एवं 130, खेसरा नं0-199, 217 एवं 219, कुल रकबा क्रमशः-02, 21 एवं 12 डी0 (कुल 35 डी0), थाना नं0-16 जिस पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जमीन दरगाह वक्फ स्टेट नं0 बी0आर0पी0टी0-0969 है जो बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड से दिनांक 29 जुलाई, 1959 को रजिस्टर्ड भी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए दोषियों पर कार्रवाई कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*1139. श्रीमती निक्की हेम्ब्रम (कटोरिया)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बांका जिले के कटोरिया एवं बौंसी प्रखंड में टमाटर, मिर्च और मक्का की अत्यधिक पैदावार होती है, परन्तु स्थानीय स्तर पर कम माँग होने के कारण किसानों को कम मूल्य पर अपने उत्पादन को बेचना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंडों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होने से किसानों के पैदावार का व्यापक उपयोग नहीं हो पाता ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कटोरिया एवं बौंसी प्रखंड में किसानों के हित में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*1140. श्री भाई वीरेन्द्र (मनेर)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 11 जनवरी, 2025 को प्रकाशित शीर्षक ''दिव्यांग कोटि बिहार के 44 व बाकी राज्यों के 121 लोग बने प्राइमरी शिक्षक'' के आलोक में क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा (टी0आर0ई0) 1.0 से 3.0 तक के विज्ञापन के अनुसार दिव्यांग कोटि में बिहार राज्य के ही दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन नियम के विरुद्ध हुआ है एवं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रकाशित परीक्षाफल में राज्य के मात्र 44 अभ्यर्थियों, जबकि दूसरे राज्य के 121 अभ्यर्थियों, जिसका औसत अनुपात 26 प्रतिशत तथा 74 प्रतिशत है, का चयन किये जाने का क्या औचित्य है ?

बैंक की शाखा खुलवाना

*1141. श्री अरुण सिंह (काराकाट)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत प्रखंड पातेपुर के बाजार पातेपुर में मात्र एक ही बैंक शाखा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्थापित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बैंक में अत्यधिक खाताधारक होने के कारण बैंक आदि के कार्यों में अधिक समय व लम्बे कतार में खड़े रहने के कारण खाताधारकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पातेपुर बाजार में अन्य बैंकों की शाखा अधिष्ठापित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई कराना

*1142. श्री अरूण शंकर प्रसाद (खजौली)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी थाना के छतौनी निवासी डॉ0 विजय सिंह को दिनांक 5 फरवरी, 2025 को जयनगर थाना के पुलिस ने रात्रि के 10 बजे जबरन पकड़कर थाना हाजत में बंद कर दिया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रातः काल उनके संबंधी थाना पर आये तो पुलिस ने वारंट दिखाया जिसमें दूसरे व्यक्ति के पिता का नाम एवं पता अंकित था तथा निजी मुचलका पर दिन के एक बजे छोड़ा गया जिस कारण सामाजिक प्रतिष्ठा एवं मानसिक ठेस पहुँचा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उच्चस्तरीय जाँच कराकर दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास बनवाना

*1143. श्रीमती शालिनी मिश्रा (केसरिया)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया प्रखंड एवं संग्रामपुर प्रखंड में अल्पसंख्यक छात्रावास नहीं है, जिससे छात्रों को कठिनाई उत्पन्न हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार अल्पसंख्यक छात्रावास बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*1144. श्रीमती प्रतिमा कुमारी (राजापाकर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला का देसरी पुलिस अंचल कार्यालय देसरी की बजार महनार से संचालित हो रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि देसरी में पुलिस अंचल कार्यालय संचालन के लिए पुलिस महानिदेशालय द्वारा भवन उपलब्ध नहीं कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार देसरी पुलिस अंचल कार्यालय भवन निर्माण का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1145. श्री अचमित ऋषिदेव (रानीगंज, अररिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत, पचीरा वार्ड नं0-13, ग्राम-कमलपुर के राजस्व मौजा-कमलपुर में खाता नं0-37, खेसरा नं0-384, रकबा-2 एकड़ 52 डिसमिल कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थानांतरित कराना

*1146. श्रीमती मनोरमा देवी (बेलागंज)--क्या मंत्री, निर्वाचन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया नगर निगम के वार्ड संख्या-29, मगध कॉलोनी के मतदान केन्द्र संख्या 264 एवं 265 क्रमशः चंदौती पूर्वी भाग तथा पश्चिमी भाग में अवस्थित हैं जो कि मगध कॉलोनी से लगभग चार किलो मीटर की दूरी पर अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों बूथ मगध कॉलोनी से काफी दूरी पर स्थित होने के कारण बुजुर्ग एवं महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह जाते हैं, जबकि विनोवा नगर में सामुदायिक भवन है जहाँ दोनों बूथों को स्थानांतरित कर देने से मतदाताओं को अपना मतदान करने में काफी सुविधा होगी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गया नगर निगम के वार्ड सं0-29 के बूथ संख्या 264 एवं 265 को चंदौती से विनोवा नगर स्थित सामुदायिक भवन में स्थानांतरित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1147. श्री अवध बिहारी चौधरी (सिवान)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान जिलान्तर्गत बड़हरिया प्रखंड के ग्राम-पकड़ी, इजमाली एवं सिवान सदर प्रखंड के ग्राम-मोहिउद्दीनपुर में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विचार करना

*1148. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (मनिहारी)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला में मकई की फसल बहुतायात में होती है लेकिन फूड प्रोसेसिंग के अभाव में किसानों को फसल की उचित कीमत नहीं मिल पाती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड में फूड प्रोसेसिंग उद्योग खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1149. श्री राजेश कुमार (कुटुम्बा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला में एम्स गोलम्बर के पास से बड़ी गाड़ियों का नो-एंट्री लगने से एन0 एच0 139 के नौबतपुर, बिक्रम, रानी तालाब, महाबलीपुर आदि पर भीषण जाम लग जाता है एवं रात्रि 9 बजे नो-एंट्री हटते पूरा पटना शहर की सारी सड़कें एक साथ जाम हो जाती है, जिससे लोगों एवं एम्बुलेंसों का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नो-एन्ट्री की बजाय पुरानी यातायात व्यवस्था को लागू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विचार करना

*1150. श्रीमती रश्मि वर्मा (नरकटियागंज)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिला के नरकटियागंज चीनी मिल द्वारा क्षेत्र के गन्ना किसानों को उन्नत प्रभेद का बीज दिया जाता है, जिसे किसान अपने खेतों में लगाते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि गन्ना का बीज 1 वर्ष खेत में लगाने के उपरांत उससे 3 वर्ष तक गन्ना तैयार होता है, परंतु चीनी मिल द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रभेद बदलकर पुराने गन्ना किसानों को परमिट देने से मना किया जाता है और नए प्रभेद वाले किसानों को ही परमिट दिया जाता है, जिससे सैकड़ों पुराने गन्ना-उत्पादक किसान आर्थिक तंगी झेलने को मजबूर हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक किसानों के हित में एक उन्नत प्रभेद बीज से प्राप्त गन्ना को कम-से-कम तीन वर्षों तक चीनी मिल द्वारा खरीदने का निर्देश देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*1151. श्री मुकेश कुमार रौशन (महुआ)--क्या मंत्री, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के महुआ और चेहराकलां प्रखंडों में आई0टी0 भवन नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंडों में कबतक आई0टी0 भवनों का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*1152. श्री कुमार सर्वजीत (बोधगया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत फतेहपुर प्रखंड के ग्राम-बगई स्थित कब्रिस्तान की चहारदीवारी नहीं होने के कारण यह कब्रिस्तान अतिक्रमण एवं आवारा पशुओं की शरणस्थली बनते जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की चहारदीवारी का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1153. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (सिकटा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत मैनाटांड़ प्रखंड के पुरूषोत्तमपुर थाना क्षेत्र में लक्ष्मीपुर का कब्रिस्तान और भगहाँ थाना क्षेत्र में नगरदेही का कब्रिस्तान सैकड़ों वर्षों से अस्तित्व में है ;

(2) क्या यह भी बात सही है कि पिछले कुछ वर्षों में से दोनों कब्रिस्तान संवेदनशील बना हुआ है, जिसमें नरकटियागंज अनुमंडल के पुलिस प्रशासन को शांति के लिए पहल करनी पड़ी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक लक्ष्मीपुर कब्रिस्तान की चहारदीवारी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ0पी0 बनाना

*1154. श्री मुकेश कुमार यादव (बाजपट्टी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी थाना क्षेत्र में रसलपुर बाजार पड़ता है जिसकी दूरी थाना स्थल से 12 किलो मीटर और उक्त बाजार से उत्तर में 10 किलो मीटर पर सुरसण्ड थाना, दासिरा में 10 किलो मीटर पर पुपरी थाना, पूरब में 12 किलो मीटर पर चोरौत थाना तथा पश्चिम में 12 किलो मीटर पर बाजपट्टी थाना पड़ता है उक्त रसलपुर बाजार की दूरी चौतरफा थाना क्षेत्र से अधिक होने के कारण वहाँ सुचारू रूप से पुलिस गस्ती नहीं होने पर हमेशा आपराधिक घटनाएँ घटती रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक रसलपुर बाजार में पुलिस चौकी ओ0पी0 बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विकसित कराना

*1155. श्री रामबली सिंह यादव (घोसी)--हिंदी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2025 में प्रकाशित शीर्षक ''औद्योगिक परिसर का नहीं हो रहा विकास बीते 32 साल से बेकार पड़ा है काको रोड स्थित इंडस्ट्रीयल कैम्पस, विभाग उदासीन'' के आलोक में क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिले में कोई भी उद्योग स्थापित नहीं है और जहानाबाद नगर परिषद् क्षेत्र में अवस्थित औद्योगिक परिसर वीरान पड़ा हुआ है जबकि पूर्व में इस परिसर में वेंकटेश टेक्सटाइल कंपनी, अभिषेक फॉर्मा कंपनी, जय भवानी इंटरप्राईजेज, फिनाइल बनाने वाली मॉडल केमिकल कंपनी आदि उद्योग संचालित होता था अब नहीं हो रहा है, जिसके कारण हजारों लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार जहानाबाद के इस औद्योगिक परिसर को विकसित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई कराना

*1156. श्री देवेश कान्त सिंह (गोरियाकोठी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के दरियापुर थाना में स्व0 सिपाही सं0-631, स्व0 अम्बिका राय पदस्थापित थे जिनकी मृत्यु दिनांक 24 फरवरी, 1980 को सेवाकाल में हो गयी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सिपाही की आश्रितों पत्नी के द्वारा अनुकम्पा के लिए 1980 ई0 में जो आवेदन दिया गया उसमें यह दर्शाया गया कि उनके पुत्र शील कुमार, पिता-स्व0 अम्बिका राय, ग्राम+पो0-कमरपुर, जिला-बक्सर अभी नाबालिग है, 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मेरे पुत्र को अनुकम्पा दी जाये ;

(3) क्या यह बात सही है कि मृतक सिपाही की पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी जिस कारण विभाग में आवेदन समर्पित करने के पश्चात् पावती रसीद नहीं ले पायी ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मृत सिपाही के पुत्र श्री शील कुमार राय को अनुकम्पा पर बहाल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निवेश हेतु कदम उठाना

*1157. श्री अजीत शर्मा (भागलपुर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2020 से वर्ष 2024 तक बिहार बिजनेस कनेक्ट के आयोजन के दौरान 1.81 लाख करोड़ रुपये के निवेश हेतु उद्योगपतियों से करार हुआ परंतु लाल फीताशाही के कारण मात्र 42 हजार करोड़ रुपये का ही वास्तविक रूप से निवेश हो सका है, यदि हाँ, तो उद्योगपतियों को लाल फीताशाही के जाल से बचाकर उनसे निवेश कराने के लिये सरकार कौन-सा कदम उठाने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*1158. श्रीमती नीतु कुमारी (हिसुआ)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के हिसुआ प्रखंड के नसरतपुर फुलवरिया एवं नरहट प्रखंड के बड़ी पाली, गाँवों में स्थित कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं हुई है, जिससे स्थानीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग लगाना

*1159. श्री कृष्ण कुमार ऋषि (बनमनखी)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बनमनखी में बियाडा की 118.55 (एक सौ अठारह दशमलव पचपन) एकड़ जमीन खाली है, जिसकी घेराबंदी बियाडा के द्वारा करायी गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बियाडा की जमीन पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगने से स्थानीय मक्का आलू एवं मखाना किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा, वहीं युवाओं के लिये रोजगार का भी सृजन होगा ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों एवं युवाओं के हित में रोजगार सृजन के लिये उक्त बियाडा की जमीन पर मक्का एवं आलू उद्योग लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आवासीय विद्यालय बनाना

*1160. श्री शमीम अहमद (नरकटिया)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के बंजरिया प्रखंड अल्पसंख्यक बहुल्य क्षेत्र है एवं अल्पसंख्यक छात्रों को शिक्षा के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय नहीं रहने के कारण अल्पसंख्यक छात्रों को शिक्षा ग्रहण करने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है जबकि ग्राम-जनेरवा में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनाने हेतु सरकारी जमीन उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वर्णित स्थल पर आवासीय विद्यालय शीघ्र बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

लागू करवाना

*1161. श्री नारायण प्रसाद (नौतन)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य की परिसीमा में एकल उपयोग वाले चिह्नित प्लास्टिक (थर्मोकोल समेत) सामाग्रियों के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, ब्रिकी एवं उपयोग पर राज्य सरकार के बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना के पत्रांक 1568, दिनांक 4 जुलाई, 2022 द्वारा पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रतिबंधित होने के बावजूद पश्चिम चम्पारण समेत प्रदेश के सभी जिलों में खुलेयाम एकल उपयोग वाले प्लास्टिक की बिकी हो रही है जो गैर-कानूनी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एकल उपयोग की प्लास्टिक के प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यो ?

कार्रवाई करना

*1162. श्रीमती अरुणा देवी (वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के वारिसलीगंज प्रखंड में पावर ग्रिड के निकट 61 एकड़ सरकारी भूमि उपलब्ध है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वारिसलीगंज प्रखंड कृषि प्रधान क्षेत्र है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त भूमि पर इथेनॉल या कृषि से संबंधित उद्योग लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण कराना

*1163. श्री विद्या सागर केशरी (फारबिसगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज विधान सभा के खवासपुर बाजार में पुलिस ओ0पी0 का संचालन विद्यालय भवन में किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थान से फारबिसगंज थाना 15 किलो मीटर एवं सिमराहा थाना 20 किलो मीटर की दूरी पर अवस्थित है जबकि यह क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त स्थान पर सरकारी भूमि का चयन कर पुलिस ओ0पी0 भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कर्मियों की तैनाती कराना

*1164. श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी (बक्सर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पिछले वर्षों में बक्सर में ट्रैफिक थाना की स्थापना हुई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि बक्सर के ट्रैफिक थाना में तय क्षमता के विरुद्ध केवल 6 प्रशिक्षित एवं 18 गृह रक्षा बल की प्रतिनियुक्ति हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बक्सर के ट्रैफिक थाना में आवश्यक संख्या में प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विचार करना

*1165. श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी (सिकंदरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिला के अलीगंज एवं सिकन्दरा प्रखंड से जिला मुख्यालय एवं अनुमंडल मुख्यालय की दूरी क्रमश: 60 किलो मीटर एवं 32 किलो मीटर है, यदि हाँ, तो क्या सरकार जमुई जिला के प्रखंड सिकन्दरा एवं अलीगंज को मिलाकर सिकन्दरा में पुलिस अनुमंडल का मुख्यालय बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण हटाना

*1166. श्री छोटे लाल राय (परसा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोरवा प्रखंड के इन्द्रवारा पंचायत स्थित चकलालशाही चौक के तीन मुहानी पर सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर दुकानों को चलाया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अवैध दुकानों के कारण वहाँ आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों की बैठकी होती है तथा वाहन जाम एवं बड़े वाहन को मोड़ने संबंधी समस्या होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति-पत्र देना

*1167. श्री संदीप सौरभ (पालीगंज)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 02/2019 द्वारा 202 स्नातक स्तरीय उर्दू अनुवादकों की बहाली में लिखित परीक्षा और परिणाम जारी होने के बाद आयोग द्वारा पुराने NCL और EWS प्रमाण-पत्र की माँग करते हुये कई अभ्यर्थियों को चयन से वंचित कर दिया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि इसी आयोग ने सहायक उर्दू अनुवादक (विज्ञापन संख्या 01/2019) और प्रथम इंटरस्तरीय परीक्षा में अद्यतन NCL और EWS प्रमाण-पत्र को स्वीकार किया था एवं सिपाही भर्ती परीक्षा, 2024 में भी अद्यतन NCL और EWS प्रमाण-पत्र स्वीकार किया गया था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उर्दू अनुवादकों की बहाली में अद्यतन NCL और EWS प्रमाण-पत्र स्वीकार करते हुये परीक्षा में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रशिक्षण देना

*1168. श्री जय प्रकाश यादव (नरपतगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प्रदेश में पुलिस को ड्रग्स माफिया, साइबर अपराधी, शराबबंदी में संगठित गैंग, बालू एवं भू-माफिया के सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ फेंकने के साथ-साथ महिलाओं की विशेष सुरक्षा का विषय संबंधित चुनौतियों के लिये विशेष तौर पर प्रयास करने की जरूरत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आज कल डिजिटल दुनिया में सुरक्षा की जिम्मेदारी सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पुलिस को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैश करते हुये विशेष प्रशिक्षण देकर इन चुनौतियों से लड़ने हेतु तैयार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1169. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (कुचायकोट)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत पंचदेवरी प्रखंड के पंचायत बनकटीया के ग्राम-टेरखेमराज में अबतक कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अग्निशामक वाहन उपलब्ध कराना

*1170. श्री राकेश कुमार रौशन (इस्लामपुर, नालन्दा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के इस्लामपुर एवं एकंगरसराय प्रखंड में 1500 एकड़ भू-भाग से अधिक में गेहूँ की खेती की जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गेहूँ का फसल गर्मी के महीना में तैयार होता है जिसकी आग से सुरक्षा के लिये उक्त दोनों प्रखंडों में पर्याप्त अग्निशामक बड़ी वाहन उपलब्ध नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अग्नि से फसल क्षति रोकने के लिये उक्त दोनों प्रखंडों में दो-दो बड़ी अग्निशामक वाहन उपलब्ध कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

विचार करना

*1171. श्री युसुफ सलाहउद्दीन (सिमरी बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सलखुआ प्रखंड के चानन एवं साम्हरखुर्द पंचायत सहित कोसी बाँध के बाहर के क्षेत्रों को सलखुआ थाना के स्थान पर चिरैया थाना के अधीन कर दिये जाने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार पूर्व की तरह सलखुआ प्रखंड के चानन एवं साम्हरखुर्द पंचायत सहित कोसी बाँध के बाहर के क्षेत्रों को चिरैया थाना के स्थान पर सलखुआ थाना के अधीन लाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*1172. श्री रामविलास कामत (निर्मली)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत पिपरा एवं किशनपुर प्रखंड मुख्यालय में सद्भावना मंडप नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा सद्भावना मंडप का निर्माण करवाया जाता है ;

(3) क्या यह बात सही है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग शादी-विवाह सहित सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक गतिविधियों आदि के लिये इसका उपयोग कर सकते हैं, साथ ही इसका उपयोग सरकारी आयोजनों में भी किया जा सकता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त प्रखंड मुख्यालयों में सद्भावना मंडप कबतक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*1173. मो0 नेहालउद्दीन (रफीगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखंड सासाराम पोस्ट-करवनदिया के ग्राम-अमरी में, अमरी मस्जिद है, जो 100 साल से भी अधिक पुरानी है एवं मस्जिद की भूमि को असामाजिक तत्वों के द्वारा अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश वाद संख्या सी0डब्लू0जे0सी0 16442/2012 में दिनांक 14 जुलाई, 2015 एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सासाराम के पत्रांक 656, दिनांक 28 मई, 2022 के बावजूद अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मस्जिद की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराते हुये दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1174. श्री अमरजीत कुशवाहा (जीरादेई)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सिवान जिलान्तर्गत प्रखंड के मैरवा पंचायत, इंग्लिश टोला का थाना प्रखंड अंचल मैरवा है जबकि इसी पंचायत के ग्राम-लेमरी टोला खैरा का थाना-दरौली है ;

(2) क्या यह बात सही है कि लेमरी टोला, खैरा दरौली थाना से 25 किलो मीटर तथा मैरवा थाना से 2 किलो मीटर दूर है ;

(3) क्या यह बात सही है कि इंग्लिश पंचायत के खैरा टोला के लोगों को दरौली थाना अपनी समस्याओं का समाधान हेतु 25 किलो मीटर दूरी तय करने में आमलोगों को काफी कठिनाई होती है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इंग्लिश पंचायत के लेमरी टोला, खैरा को मैरवा थाना से संबंध करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ी जाति में शामिल करना

*1175. श्री राजेश कुमार गुप्ता (सासाराम)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में मुस्लिम समाज के उप-जाति ननबाई/बावर्ची बहुत ही गरीब जाति है, जो पिछड़ी जाति की सभी अर्हता को पूरा करती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक ननबाई/बावर्ची जाति को पिछड़ी जाति में शामिल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*1176. श्री शकील अहमद खाँ (कदवा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी 38 जिलों में वर्ष 2007 में सर्वेक्षण कराकर जिला स्तर पर कब्रिस्तानों के घेराबंदी की प्राथमिकता सूची तैयार की गई थी, उक्त प्राथमिकता सूची के अतिरिक्त 4000 की संख्या में कब्रिस्तान छूट गये थे, जिनका नाम उक्त सूची में शामिल नहीं होने के कारण घेराबंदी नहीं करायी गई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्राथमिकता सूची से छूटे हुये 4000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मंदिर का जीर्णोद्धार

*1177. श्री राजवंशी महतो (चेरिया बरियारपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के प्रखंड वीरपुर के पंचायत नवला के ग्राम-गाड़ा में प्रज्ञा मंदिर अवस्थित है, जिसका मौजा-नाला, थाना नं0-419, खाता सं0-1884, खेसरा-2195, रकबा-एक कट्ठा 17 धूर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रज्ञा मंदिर में हजारों श्रद्धालु पूजा करने प्रतिवर्ष आते हैं ;

(3) क्या यह बात सही है कि मंदिर के जमीन पर मुन्नी कुमारी के पति-रंजित कुमार, पिता-सुरेश सिंह, ग्राम-गाड़ा, अंचल-वीरपुर, थाना-भगवानपुर, जिला-बेगूसराय द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसकी शिकायत अंचलाधिकारी, वीरपुर को भी किया गया है, पर आजतक मंदिर के जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मंदिर के जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर मंदिर का नये सिरे से जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

एकीकृत पेंशन योजना लागू करना

*1178. श्री अजय कुमार सिंह (जमालपुर, मुंगेर)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित "भारत सरकार का राजपत्र" सी0जी0डी0एल0ई0-25012025-260482, दिनांक 24 जनवरी, 2025 जो एकीकृत पेंशन योजना के तहत केन्द्र सरकार के अधीन वैसे कर्मचारियों के लाभ से संबंधित है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत आते हैं से संबंधित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना को अबतक लागू नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के कर्मचारियों के हित में उक्त अधिसूचना को कबतक लागू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1179. <u>श्री प्रहलाद यादव (सूर्यगढ़ा)</u>--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के धरहरा थाना के अन्तर्गत 22 जुलाई, 2024 को शाम इन्द्रजीत प्रताप वर्मा, पिता-राकेश रंजन सिंह उर्फ कालीचरण सिंह साकिन-धरहरा घर से निकला था और 23 जुलाई, 2024 को परिवार के लोगों द्वारा खोज-बीन किये जाने पर उसकी लाश घर से कुछ दूरी पर पेड़ में लटकी मिली जिसके सम्बन्ध में धरहरा थाना में कांड संख्या 180/2024 दर्ज हुआ और अभियुक्त का नाम भी दिया गया लेकिन आजतक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई ;

(2) यदि उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक अभियुक्त की गिरफ्तारी करवाके इन्साफ दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भुगतान कराना

*1180. <u>श्री मिथिलेश कुमार (सीतामढ़ी)</u>--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी एवं शिवहर जिला के हजारों गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान 6 वर्षों से बकाया है तथा सरकार ने 52.30 करोड़ की राशि के भुगतान का निर्णय लिया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाति प्रमाण-पत्र निर्गत

*1181. <u>श्री अशोक कुमार सिंह (रामगढ़, कैमूर)</u>--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कमकर तथा कहार पेशागत/स्थानीय पुकारू नाम हैं और चंद्रवंशी (अतिपिछड़ी जाति) के राजस्व अभिलेख (खतियान) में और इसके अलावा खरवार (अनुसूचित जन-जाति) में भी लिखा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि खरवार (अनुसूचित जन-जाति) और चंद्रवंशी (अतिपिछड़ी जाति) के राजस्व अभिलेख (खतियान) में कमकर/कहार अंकित होने के कारण खरवार जाति के पात्र सदस्यों का जाति प्रमाण-पत्र सुगमता से निर्गत नहीं हो रही है ;

(3) क्या यह बात सही है कि दोनों जातियों के अभिलेख में पेशागत नाम जैसे कमकर/कहार आदि लिखा हैं जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि कौन किस मूल जाति का है ;

(4) उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जाति सत्यापन कर खरवार जाति के सदस्यों का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1182. <u>श्री रामप्रवेश राय (बरौली)</u>--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि चीनी मिलों में स्थानीय लोगों को नौकरी एवं रोजगार देने की प्राथमिकता है, जबकि गोपालगंज जिलान्तर्गत सिधवलिया चीनी मिल में स्थानीय लोगों के बजाय अन्य प्रदेशों के 70 प्रतिशत लोगों को रोजगार दिया गया है तथा सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम का भुगतान

वहां कार्यरत कर्मियों को मिल प्रबंधन द्वारा दिया जाता है यदि हाँ, तो क्या सरकार सिधवलिया चीनी मिल में स्थानीय बेराजगारों को रोजगार दिलाने एवं सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी के बराबर मजदूरी दिलाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विचार करना

*1183. श्री इसराईल मंसूरी (कांटी)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत 2020-21 में कुल-16000 लाभुकों का चयन किया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त लाभुकों को सरकार द्वारा 50% अनुदान पर 10-10 लाख रुपया देना था, पर सरकार द्वारा 02 किस्तों में 4-4 लाख रुपया ही दिया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि 9 हजार लाभुकों को दो किस्तों में 8 लाख रुपया ही मिला और 02 लाख रुपया बकाया रह गया तथा पोर्टल को बंद कर दिया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वंचित लाभुकों को पुनः 2-2 लाख रुपये देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की एक शाखा खुलवाना

*1184. श्री विनय बिहारी (लौरिया)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत योगापट्टी प्रखंड के नवसृजित नगर पंचायत मच्छरगांवा के बहुत बड़े व्यापारिक स्थल होने के बावजूद भी यहां भारतीय स्टेट बैंक की शाखा नहीं है यदि हाँ, तो सरकार कबतक नगर पंचायत, मच्छरगांवा में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा खुलवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*1185. श्री अनिता देवी (नोखा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत नोखा प्रखंड के ग्राम पंचायत धर्मपुरा के ग्राम-कैथी और धर्मपुरा कब्रिस्तान की घेराबंदी अबतक नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान को घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बुनकर बालिका विद्यालय के संबंध में

*1186. श्री समीर कुमार महासेठ (मधुबनी)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत रहिका प्रखंड के भच्छी पंचायत के भौआड़ा में बुनकरों की संख्या राज्य में सर्वाधिक है परंतु वहां बच्चियों के लिये अलग से कोई स्कूल नहीं रहने के कारण बच्चियां पढ़ नहीं पाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त भौआड़ा के मूसानगर में बच्चियों की शिक्षा के लिये बुनकर बालिका विद्यालय स्थापित किये जाने की मांग प्रश्नकर्ता द्वारा पिछले पांच वर्ष से की जा रही है परंतु अभीतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भौआड़ा के मूसानगर में बुनकर बालिका विद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1187. श्री सुर्यकान्त पासवान (बखरी)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बखरी विधान सभा क्षेत्र में बखरी प्रखंड के मरवाचक कब्रिस्तान एवं नावकोठी प्रखंड के हसनपुर बागर कब्रिस्तान की घेराबंदी अभीतक नहीं की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वार स्पष्ट दिशा-निर्देश दिया गया है कि सुरक्षा दृष्टिकोण से संवेदनशील कब्रिस्तानों की घेराबंदी जल्द पूरा कर लिया जाये ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने की विचार विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मूर्ति स्थापित कराना

*1188. श्री ऋषि कुमार (ओबरा)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प सं० 730, दिनांक 30 अप्रील, 2007 के आलोक में बिहार के महानुभावों की मूर्ति लगाने हेतु समिति का गठन किया गया है एवं समिति के अनुमोदन के बाद राज्य में चयनित स्थान पर महानुभाव की मूर्ति लगाना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद शहर के दानी बिगहा बस स्टैंड में पूर्व मंत्री स्व० राम विलास सिंह की मूर्ति की स्थापना हेतु जिला परिषद्, औरंगाबाद द्वारा प्रस्ताव पारित कर जिला परिषद् कार्यपालक पदाधिकारी एवं जिलाधिकारी, औरंगाबाद को सूचना दी गयी लेकिन आजतक उक्त स्थान पर मूर्ति स्थापित करने का आदेश उक्त समिति द्वारा नहीं दिया गया है जबकि शहर में अनेकों महानुभावों की मूर्ति संकल्प सं० 730, दिनांक 30 अप्रील, 2007 के बाद उक्त समिति से आदेश लेकर लगायी गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उपर्युक्त खंड (2) में वर्णित अन्य महानुभावों तथा श्री सतेन्द्र नारायण सिन्हा एवं श्री शंकर दयाल सिंह की तरह पूर्वमंत्री स्व० राम विलास सिंह की मूर्ति कबतक स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई कराना

*1189. श्री भीम कुमार सिंह (गोह)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत गोह प्रखंड के उपहारा थाना में कांड संख्या 54/2009 में प्राथमिकी दर्ज किया गया था जिसमें ग्राम-तेयाप के दलित छात्रावास एवं मिडिल स्कूल निर्माण में प्रधानाध्यापक, कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता पर भष्टाचार के आरोप लगाया था, परन्तु 16 वर्षों बाद भी अभीतक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक केन्द्र का निर्माण

*1190. श्री विजय कुमार (शेखपुरा)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिलान्तर्गत अरियरी प्रखंड के चोढ़दरगाह पंचायत के ग्राम-चोढ़दरगाह एवं सनैया पंचायत के ग्राम-सनैया में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थानों पर सामुदायिक भवन के अभाव में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को कार्यक्रम के दौरान काफी कठिनाई होती है जबकि उक्त स्थानों पर सरकारी भू-खंड भी उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में उक्त स्थानों पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती हैं, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना भवन का निर्माण

*1191. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (बहादुरगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत टेढ़ागाछ थाना की स्थापना 1928 में हुआ है तथा यह थाना नेपाल सीमा से काफी निकट है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त थाना काफी पुराने टीन के मकान में संचालित है तथा थाना स्टाफ के लिए सुरक्षित मकान एवं बैरक तक नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त थाना के लिए एक नये भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती हैं, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1192. श्री मुहम्मद इजहार असफी (कोचाधामन)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन विधान सभा के प्रखंड कोचाधामन में शाहनगरा कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से मवेशियों द्वारा कब्र को छिन्न-भिन्न किया जाता है एवं कब्रिस्तान से रास्ता होने के कारण स्थानीय लोगों से झड़प होती रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक शाहनगरा कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रोन्नति देना

*1193. श्री रामानुज प्रसाद (सोनपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 5646, दिनांक 14 जून, 2006 द्वारा निर्गत अधिसूचना द्वारा प्रख्यापित नियमावली की कंडिका 6 के अनुसार सचिवालय/संलग्न कार्यालय/बिहार विधान सभा में आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति की जाती है, परन्तु सचिवालय/संलग्न कार्यालय में निजी सहायक के 249 पद रिक्त रहने के बावजूद आशुलिपिक के पद पर 5 वर्षों की सेवा उपरान्त भी निजी सहायक के पद पर प्रोन्नति नहीं दी गयी है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक सचिवालय/संलग्न कार्यालय में कार्यरत आशुलिपिक को प्रोन्नति देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1194. श्री राम चन्द्र प्रसाद (हायाघाट)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड अंतर्गत पतोर थाना 50 वर्षों से भाड़े के जमीन पर ही संचालित है, जबकि सरकार द्वारा प्रत्येक प्रखंड अंतर्गत थाना भवन के निर्माण हेतु बजट का प्रावधान किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त थाना को अपना भवन बनवाकर संचालित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लोकायुक्त की नियुक्ति

*1195. श्री चन्द्रशेखर (मधेपुरा)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में विगत 2 वर्षों में लोकायुक्त का पद रिक्त है, जिसके कारण राज्य के पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण के सुनिश्चित वृद्धि उन्नयन प्रथम एवं द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति, वेतन,' पेंशन सहित दर्जनों मामले लंबित हैं, यदि हाँ, तो सरकार लोकायुक्त के रिक्त पद पर लोकायुक्त की नियुक्ति करते हुए उक्त लंबित मामलों का निष्पादन कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1196. श्री संतोष कुमार मिश्र (करगहर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के करगहर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत प्रखंड-सह-अंचल शिवसागर के ग्राम-गजौन्था स्थित कब्रिस्तान जिसका खाता नं0 103, खेसरा सं0 238, तथा रकबा 7 डि0 के घेराबंदी नहीं होने के कारण उक्त कब्रिस्तान की भूमि का अतिक्रमण होते जा रहा है जिसके कारण अक्सर विवाद होते रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय स्थापित कराना

*1197. श्री सउद आलम (ठाकुरगंज)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला अंतर्गत ठाकुरगंज एवं दिघलबैंक में अल्पसंख्यक छात्रावास नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दोनों प्रखंडों में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा स्थापित कराना

*1198. श्री जनक सिंह (तरैया)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अंतर्गत इसुआपुर प्रखंड के डोइला बाजार एवं केरवां मठिया बाजार में एक भी व्यावसायिक बैंक की शाखा नहीं होने से क्षेत्र की जनता को बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार जनहित में उक्त स्थानों पर व्यावसायिक बैंक की शाखा कबतक स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1199. श्री रणविजय साहू (मोरवा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड अंतर्गत मानपुरा वार्ड नं0-05 में खाता नं0-87, खेसरा नं0-562, रकवा-105 डिसमिल (लगभग) में कब्रिस्तान अवस्थित है, जिसकी घेराबंदी नहीं रहने के कारण इसमें असमाजिक तत्वों एवं आवारा पशुओं का आना-जाना बना रहता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमाकर्ताओं का रुपये वापस कराना

*1200. श्री महा नंद सिंह (अरवल)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अरवल एवं कलेर प्रखण्ड में सहारा इंडिया कंपनी में लगभग 60 हजार जमाकर्ता हैं, जिनकी जीवन की गाढ़ी कमाई का करीब 500 करोड़ रुपया फंसा हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 60 हजार जमाकर्ता के परिवारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सहारा इंडिया कंपनी में लगभग 60 हजार जमाकर्ताओं के करीब 500 करोड़ रुपये लौटवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना बनवाने के संबंध में

*1201. श्री प्रेम शंकर प्रसाद (बैकुंठपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला अन्तर्गत बैकुंठपुर थाना से बखरी राजापट्टी एवं बँगिरा एवं फैजुलाहपुर की दूरी 17 से 23 कि0मी0 रहने के कराण पुलिस प्रशासन को प्रशासनिक कार्यों में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार राजापट्टी में थाना का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1202. श्री आफाक आलम (कसबा, पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा मलहरिया प्रखण्ड में मलहरिया पंचायत के मुरादवाध कब्रिस्तान जो सड़क के किनारे स्थित है, जिसकी घेराबंदी आजतक नहीं की गयी है, जिसके कारण आवारा पशु कब्रिस्तान को काफी नुकसान पहुँचाता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*1203. श्री विजय कुमार खेमका (पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत पूर्णियाँ पूर्व प्रखंड के वीरपुर पंचायत के पोखरिया पुराना काली स्थान लगभग 1.5 एकड़ में फैला है जहां हजारों श्रद्धालु प्रत्येक दिन दर्शन करने आते हैं तथा यहां बराबर धार्मिक आयोजन होता है, परंतु मंदिर परिसर की चहारदीवारी नहीं रहने के कारण वहां असमाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है तथा भू-माफिया द्वारा बराबर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पोखरिया पुराना काली स्थान की चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*1204. श्री अजय यादव (अतरी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत प्रखण्ड खिजरसराय के ग्राम पंचायत हेमारा के ग्राम वलिआरी में मुस्लिम समुदाय का कब्रिस्तान है, जिसकी घेराबन्दी आजतक सरकार के द्वारा नहीं करायी गयी है, जिसके कारण हिन्दु एवं मुस्लिम समुदाय में बराबर जमीन के विवाद में तनाव एवं दंगा होने की संभावना बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त ग्राम के कब्रिस्तान की जनहित के लिए घेराबन्दी करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मोबाइल नेटवर्क क्षेत्र में विस्तार

*1205. श्री अजीत कुमार सिंह (डुमरांव)--क्या मंत्री, सूचना प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिले के किरनी गाँव सहित कई ऐसे गांव है जहां मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं मिल रही है, जिससे छात्रों को ऑनलाइन क्लास एवं ग्रामीणों को सरकार की ऑनलाइन योजनाओं और सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिले में सुदूर क्षेत्र के सैकड़ों गाँवों के लाखों बी0एस0एन0एल0 मोबाइल ग्राहकों रिचार्ज के बावजूद भी नेटवर्क की कमी के कारण वॉइस कॉल और इंटरनेट की सुविधा नहीं मिल रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में बी0एस0एन0एल0 सहित अन्य मोबाइल नेटवर्क प्रदाता कंपनियों के नेटवर्क क्षेत्र में विस्तार करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अग्निशामक केन्द्र स्थापित करना

*1206. श्री इजहारूल हुसैन (किशनगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत पोठिया प्रखण्ड में अग्निशामक केन्द्र नहीं रहने के कारण आग लगने पर जिला मुख्यालय से सहायता आने तक काफी नुकसान हो चुका होता है। जिससे आम-जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त, प्रखण्ड में कबतक अग्निशामक केन्द्र (फायर ब्रिगेड सेन्टर) स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*1207. श्री ललन कुमार (पीरपैंती)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती प्रखण्ड के पीरपैंती बाजार एवं हरदेवचक पंचायत के बाबूपुर ग्राम में कब्रिस्तान की घेराबंदी अबतक नहीं की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने के कारण असामाजिक तत्व कब्रिस्तान पर से आया जाया करते हैं, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के बीच कभी-कभी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तानों को प्राथमिकता सूची में शामिल करते हुए घेराबंदी कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1208. श्री भाई वीरेन्द्र (मनेर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खान एवं भूतत्व विभाग के पत्रांक 2830, दिनांक 16 जुलाई, 2024 के आलोक में साधारण मिट्टी के गैर वाणिज्यिक उपयोग के लिये रॉयल्टी उगाही नहीं की जायेगी, के विरुद्ध (पटना जिलान्तर्गत मनेर थाना कांड संख्या-597/2024 में ट्रैक्टर संख्या-बी0आर03एच0जी0ए0-8428, बी0आर0-01जी0एल0-2269 एवं बी0आर-01जी0एम0-3683 पर ए0एस0आई0 श्री विनय कुमार राय, श्री जय प्रकाश यादव-सिपाही संख्या-7749 एवं श्री अभिषेक कुमार, सिपाही संख्या-4983 द्वारा बालू ढुलाई का झुठा मुकदमा दर्ज किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि खंड (1) में वर्णित ट्रैक्टर संख्या पर जिला खनन कार्यालय पटना के पत्रांक 2969, 2970 एवं 2971, दिनांक 27 सितम्बर, 2024 के द्वारा जांच की रिपोर्ट में पुलिस प्रशासन द्वारा लगाये गये आरोप को गलत साबित कर दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक झूठा मुकदमा दर्ज करने वाले दोषी पुलिस प्रशासन के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1209. श्री अरूण शंकर प्रसाद (खजौली)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी थाना के पुलिस ने एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ दरभंगा जिला के मनिगाछी थाना के वघौत निवासी कुख्यात अपराधी रौशन कुमार को दिनांक 09 फरवरी, 2025 को गिरफ्तार किया, जिसका थाना कांड संख्या-26/25, दिनांक 09 फरवरी, 2025 दर्ज किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दिनांक 10 फरवरी, 2025 को चौकीदार को धक्का देकर अपराधी हाजत से फरार हो गया जिसका कांड सं0-27/25 दिनांक 10 फरवरी, 2025 दर्ज किया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जयनगर ने कुख्यात अपराधी के भागने की जाँच के क्रम में अपराधी को भागने में पुलिस पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी की लापरवाही मानते हुये अपना प्रतिवेदन समर्पित किया परन्तु अभीतक कोई कार्रवाई नहीं किया गया हैं ;

(4) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार लापरवाह थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती हैं, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1210. श्री अचमित ऋषिदेव (रानीगंज, अररिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत पचीरा वार्ड नं0-11 ग्राम-कजरा कमलपुर के राजस्व मौजा कजरा कमलपुर में खाता नं0-100, खेसरा नं0-340, रकबा 67 डिसमिल कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

हज भवन का निर्माण कराना

*1211. श्रीमती मनोरमा देवी (बेलागंज)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला अंतर्गत गया हवाई अड्डा से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा संचालित है, जिससे स्थानीय अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हज करने मक्का मदीना जाते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि गया में हज यात्रियों की सुविधा हेतु हज भवन नहीं है, जिससे हजारों की संख्या में प्रत्येक वर्ष हज यात्रा करने वाले हज यात्रियों को जानकारी के अभाव में काफी परेशानी होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार हज यात्रियों के हित में गया में एक सुविधायुक्त हज भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण

*1212. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (मनिहारी)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत मनिहारी नगर में अल्पसंख्यकों के लिये अल्पसंख्यक सामुदायिक भवन नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नगर में अल्पसंख्यक सामुदायिक भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*1213. श्री कुमार सर्वजीत (बोधगया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत फतेहपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत, नगमा के ग्राम-छोटहरा स्थित कब्रिस्तान की चहारदीवारी नहीं होने के कारण उक्त कब्रिस्तान का अतिक्रमण एवं आवारा पशुओं की शरणस्थली बनते जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान के चहारदीवारी का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

विचार करना

*1214. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (सिकटा)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि चीनी मिलों को राहत देते हुये सरकार ने किसानों के हित की शेष राशि (उपकर राशि) को 1.8 प्रतिशत से घटाकर मात्र 0.20 प्रतिशत कर दिया है जिसे भी कुछ चालू चीनी मिलें विगत पाँच वर्षों से नहीं दे रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शेष राशि कम होने से गन्ना में व्यापक पैमाने पर रोग लगने पर दवा छिड़काव, सड़क पर गन्ना लदी खराब ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की लोडिंग-अनलोडिंग में सहयोग, ट्रैक्टर-ड्राइवरों के हजारी में प्राथमिक उपचार व अन्य संबंधित मामलों में कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गन्ना किसानों की उपर्युक्त समस्याओं के समाधान लिये शेष राशि में बढ़ोतरी और उसके व्यय में पारदर्शिता कबतक लाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अपराधी की गिरफ्तारी

*1215. श्री मुकेश कुमार यादव (बाजपट्टी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के थाना-पुपरी, ग्राम-गंगटी निवासी मो0 इबरान, पिता-मो0 अमजद नदाफ एवं मो0 चाँद नदाफ, पिता-स्व0 आलिम नदाफ की हत्या अज्ञात अपराधियों द्वारा करके साक्ष्य छुपाने हेतु दरभंगा जिला के जाले थाना क्षेत्रान्तर्गत मनमा रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया था जिसके संबंध में जाले थाना कांड संख्या 37/2025, दिनांक 18 फरवरी, 2025 दर्ज है, परन्तु अभीतक पुलिस हत्या की सुराग का सही पता लगाने व अपराधियों को पकड़ने में विफल है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक हत्यारा को चिह्नित कर पकड़वाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*1216. श्री रामबली सिंह यादव (घोसी)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र के जहानाबाद-अरवल दिनांक 23 अक्टूबर, 2023 में प्रकाशित शीर्षक ''माँ के साथ जेल में बंद दो वर्षीय बच्ची की इलाज के दौरान गई जान'' के माध्यम से क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला के मंडल कारा, काको में बंद बसंती देवी के साथ दो वर्षीय फुलवंती कुमारी की मौत इलाज के दौरान हो गया था, जिसका केस काको थाना में दर्ज है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बीमार बच्ची का इलाज कराने के लिये ले जा रही माँ बसंती देवी को आबकारी विभाग ने बिना कोई साक्ष्य के बीमार बच्ची के साथ लोगों को मना करने के बावजूद जेल भेज दिया था, समय पर इलाज के अभाव में महादलित परिवार की बच्ची फुलवंती कुमारी के मौत के जिम्मेवार न तो अबतक किसी पर कोई कार्रवाई की गई और न ही पीड़ित परिजन को कोई मुआवजा मिला ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने तथा पीड़ित परिजन को कबतक मुआवजा देने को विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन के संबंध में

*1217. श्री देवेश कान्त सिंह (गोरियाकोठी)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 4 फरवरी, 2025 को प्रकाशित शीर्षक ''बी0पी0एस0सी0 से चुने 18 अफसरों पर जाँच टिकी .... ये जिलों में एस0डी0एम0-डी0एस0पी0'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि 67वीं बी0पी0एस0सी0 पेपर लिक मामले में ई0ओ0यू0 की जाँच अब 18 अफसरों पर टिक गई है, ये सभी विभिन्न जिलों में एस0डी0एम0-डी0एस0पी0 और अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जाँच के पूर्ण होने तक शासन की गरिमा के दृष्टिकोण से उक्त 18 अफसरों को फिल्ड के संवेदनशील पदों से हटाकर अन्यत्र पदस्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग का दर्जा देना

*1218. श्री अजीत शर्मा (भागलपुर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में ब्यूटी पार्लर एवं बाजारों में कुल मिलाकर 50 हजार से अधिक मेंहदी कलाकार हैं परंतु मेंहदी कला को उद्योग का दर्जा नहीं मिल पाने के कारण इन कलाकारों को बैंकों से ऋण लेने पर उसमें सरकार द्वारा कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है, जिससे ये कलाकार हतोत्साहित होकर अपना काम छोड़ रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार मेंहदी लगाने की कला को कबतक उद्योग का दर्जा देकर उद्योगों के लिये निर्धारित देय सुविधाएँ देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1219. श्रीमती नीतु कुमारी (हिसुआ)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत नरहट अंचल-सह-प्रखंड रजौली अनुमंडल में शामिल है, जिसकी दूरी काफी अधिक होने से अनुमंडलीय स्तरीय प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों हेतु वहाँ की जनता को अनेक प्रकार की परेशानियाँ झेलनी पड़ती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नरहट अंचल-सह-प्रखंड की दूरी रजौली अनुमंडल की तुलना में नवादा अनुमंडल की दूरी लगभग आधी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नवादा जिला के नरहट अंचल-सह-प्रखंड को रजौली की बजाय नवादा अनुमंडल में शामिल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*1220. श्री शमीम अहमद (नरकटिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत छौड़ादानों प्रखंड के अधीन हरदिया एवं लोहडीया कब्रिस्तानों के अतिसंवेदनशील होने एवं घनी आबादी के बीच अवस्थित होने के बावजूद इसकी घेराबंदी अबतक नहीं हुई है, जिसके फलस्वरूप असामाजिक तत्वों का यहाँ आना-जाना लगा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की मापी कराते हुये घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सेवा अभिलेख के संधारण

*1221. श्री नारायण प्रसाद (नौतन)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 सहायक एवं कार्यपालक सहायकों का सेवा अभिलेख खोलने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव ने अपने पत्रांक 1126, दिनांक 31 जनवरी, 2022 से सभी विभाग/पुलिस महानिदेशक/सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारियों को दिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार के निदेश के आलोक में प0 चम्पारण जिलान्तर्गत जिला स्थापना उप-समाहर्ता, बेतिया ने अपने पत्रांक 220, दिनांक 8 मार्च, 2022 से सभी कार्यालय प्रधान को निदेशित करते हुये सभी नियोजित कर्मियों के सेवा अभिलेख के संधारण हेतु विहित प्रपत्र जमा करने हेतु निदेशित किया है जिसका अनुपालन फरवरी, 2025 तक नहीं किया जा सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (1) में वर्णित आदेश का अनुपालन करानें का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विचार करना

*1222. श्रीमती अरूणा देवी (वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के वारिसलीगंज प्रखंड अन्तर्गत बाघी वरडीहा मोड़, स्टेट हाइवे पर एक चौराहा है, जहाँ से होकर यात्री सुल्तानगंज एवं देवघर जाते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त चौराहा पर सुरक्षा हेतु पुलिस कैम्प नहीं रहने के कारण घटनाएँ होती रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त चौराहा पर एक स्थायी ओ0पी0 का निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण करना

*1223. श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी (सिकंदरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत इस्लामनगर अलीगंज प्रखंड में थाना नहीं है, इस्लामनगर अलीगंज से 10 कि0मी0 की दूरी पर चन्द्रदीप में थाना है तथा सिकन्दरा थाना इस्लामनगर, अलीगंज से 12 कि0मी0 की दूरी पर है, जबकि इस्लामनगर अलीगंज, प्रखंड मुख्यालय एवं विकसित बाजार है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इस्लामनगर अलीगंज बाजार में एक फांडी थाना का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मालखाना गोदाम

*1224. श्री जय प्रकाश यादव (नरपतगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पुलिसिंग में बेहतर सुधार हेतु हर एक थाना में लंबित मालखाना हेतु रख-रखाव के लिए समुचित एवं पर्याप्त जगह नहीं होने से प्रत्येक थाना कर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मालखाना के देखरेख हेतु अलग से पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मालखाना के रख-रखाव की जगह एवं पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1225. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (कुचायकोट)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत कुचायकोट प्रखंड के पंचायत खजुरी के ग्राम-मलही में अबतक कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी (थाना) खोलना

*1226. श्री राकेश कुमार रौशन (इस्लामपुर, नालन्दा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के इस्लामपुर थाना से लारनपुर ग्राम की दूरी 16 कि0मी0 रहने के कारण उक्त क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटने पर पुलिस बहुत देरी से पहुँच पाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि लारनपुर गाँव सहित अन्य गाँवों में पुलिस गश्ती भी नियमित नहीं हो पा रही है, जिससे आये दिन अप्रिय घटना घटित होती रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार लारनपुर गाँव में पुलिस चौकी खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1227. श्री रामविलास कामत (निर्मली)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशुनपुर की सुपौल जिला के किशुनपुर प्रखंड मुख्यालय में एक छोटा अतिथिगृह है, जिसमें मात्र तीन (3) कमरे हैं, जिसके कारण अतिथिगणों को ठहरने में काफी कठिनाई होती है, जबकि सरकारी भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार एक अतिरिक्त अतिथिगृह भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1228. श्री मो0 नेहालउद्दीन (रफीगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड ओबरा के पंचायत करसँव के ग्राम-करसँव में करसँव कब्रिस्तान है जिसका खाता नं0 148, खेसरा 675, रकबा 23 डिसमील प्लॉट 749-18 डिसमील है, जिसका टेंडर वर्ष 2022 में हुआ था लेकिन अभी तक कब्रिस्तान की घेराबंदी का काम शुरू नहीं हुआ है, जिस वजह से असामाजिक तत्वों के द्वारा कब्रिस्तान का अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराते हुये दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ०पी० खोलना

*1229. श्री अमरजीत कुशवाहा (जीरादेई)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला के मोदनगंज प्रखंड अंतर्गत झुनकी मेला के पास आये दिन छिनतई की घटनाएं घटती रहती है, जिसमें लोगों को जान-माल का नुकसान होता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक झुनकी मेला के पास पुलिस ओ०पी० खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1230. श्री राजेश कुमार गुप्ता (सासाराम)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में मुस्लिम समाज के उपजाति गद्दी घासी को बिहार गजट में प्रकाशित नहीं होने से उस जाति के समुदाय को कोई भी कागज या आरक्षण का लाभ लेने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक मुस्लिम समाज के उपजाति गद्दी/घासी को बिहार गजट में प्रकाशित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास भवन का निर्माण करना

*1231. श्री शकील अहमद खाँ (कदवा)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखंड के +2 ए0एल0उच्च विद्यालय, सोनैली में 2005 तक अल्पसंख्यक छात्रावास का संचालन किया जा रहा था जिसको भवन के जर्जर हो जाने के कारण बंद कर दिया गया था, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में उक्त छात्रावास के भवन निर्माण कराकर पुनः चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्यालय बनाना

*1232. श्री विनय बिहारी (लौरिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पुलिस आरक्षी बेतिया, पश्चिम चम्पारण द्वारा वर्ष 2023 में योगापट्टी को पुलिस अनुमंडल बनाने की पहल की गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि पुलिस अनुमंडलीय योगापट्टी न होकर बैरिया हो गया है जहाँ हेतु जमीन भी उपलब्ध नहीं है, यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार योगापट्टी अंतर्गत शनीचरी चौक पर उपलब्ध एक एकड़ जमीन पर जहाँ शनीचरी ओ०पी० कार्यरत है, वहाँ योगापट्टी पुलिस अनुमंडल का कार्यालय बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*1233. श्रीमती अनिता देवी (नोखा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत नोखा प्रखंड के ग्राम पंचायत श्रीखिंडा के ग्राम-श्रीखिंडा में कब्रिस्तान की घेराबंदी अबतक नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

क्राफ्ट टूरिज्म विलेज बनाने के संबंध में

*1234. श्री समीर कुमार महासेठ (मधुबनी)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत राजनगर प्रखंड के जितवारपुर गांव को पांच वर्ष पूर्व ही क्राफ्ट टूरिज्म विलेज बनाने का निर्णय लिया गया था परंतु आजतक इससे संबंधित अधिसूचना सरकार द्वारा निर्गत नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उपर्युक्त जितवारपुर गांव को क्राफ्ट टूरिज्म विलेज बनाने संबंधी अधिसूचना निर्गत करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण

*1235. श्री सुर्यकान्त पासवान (बखरी)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बखरी विधान सभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक छात्रावास की मांग लम्बे समय से की जा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अल्पसंख्यक छात्रावास नहीं होने से क्षेत्र के गरीब अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को पढ़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार दलित छात्रावास, कर्पूरी छात्रावास के तर्ज पर अल्पसंख्यक छात्रावास के निर्माण करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान का घेराबंदी

*1236. श्री भीम कुमार सिंह (गोह)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत हसपुरा प्रखंड ग्राम-खुटहन स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु वर्ष 2017 में ही प्रशासनिक स्वीकृति मिल गया था परन्तु आठ वर्षों के बाद भी कब्रिस्तान का घेराबंदी नहीं हो सका, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान का घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

हुसैनाबाद एवं नवीनगर ककराढ़ में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण

*1237. श्री विजय कुमार (शेखपुरा)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिलान्तर्गत अरियरी प्रखंड के हुसैनाबाद पंचायत के ग्राम-हुसैनाबाद एवं ग्राम-नवीनगर ककराढ़ में मुस्लिम बाहुल्य आबादी है, परन्तु अल्पसंख्यकों के लिये सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थानों पर सामुदायिक केन्द्र के अभाव में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को कार्यक्रम के दौरान काफी कठिनाई होती है, जबकि उक्त स्थानों पर प्रचुर मात्रा में सरकारी भू-खंड भी उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*1238. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (बहादुरगंज)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के टेढ़ागाछ प्रखंड मुख्यालय में भारतीय स्टेट बैंक की एक भी शाखा नहीं होने से आमजनों तथा व्यापारियों को कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड में एस०बी०आई० बैंक की शाखा खोलने के लिये काफी समय से मांग की जाती रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार टेढ़ागाछ प्रखंड मुख्यालय में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मक्का प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कराना

*1239. श्री मुहम्मद इजहार असफी (कोचाधामन)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन विधान सभा के प्रखंड-कोचाधामन के किसान मक्का की खेती बड़े पैमाने पर किया करते हैं तथा यहां मक्का प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित नहीं रहने के कारण किसानों को कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक प्रखंड-कोचाधामन में मक्का प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुमंडल बनवाना

*1240. श्री सउद आलम (ठाकुरगंज)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत ठाकुरगंज प्रखंड की जिला मुख्यालय दूरी लगभग 80 किलो मीटर होने से प्रशासनिक कार्यों को संपादित करने में काफी कठिनाई होती है साथ ही क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ये प्रखंड सबसे बड़ा है इसलिये यह प्रखंड अनुमंडल बनने के सभी मानक को पूरा करता है, यदि हाँ, तो सरकार ठाकुरगंज को अनुमंडल बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक कार्यालय स्थापित करना

*1241. श्री जनक सिंह (तरैया)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत पानापुर प्रखण्ड के पकड़ी नरोत्तम एवं रसौली में एक भी व्यावसायिक बैंक की शाखा नहीं होने से क्षेत्र की जनता को बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने में काफी कठिनाई होती है ;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार जनहित में उपरोक्त स्थानों पर व्यावसायिक बैंक का कार्यालय कबतक स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1242. श्री रणविजय साहू (मोरवा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखण्ड अन्तर्गत गौसपुर सरसौन वार्ड नं0-10 में कब्रिस्तान स्थित है, जिसका खाता नं0-589, खेसरा सं0-1366, 1370, 879 एवं रकबा 2.05 एकड़ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने के कारण उसमें आवारा पशुओं एवं असामाजिक तत्वों का आना-जाना रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सजा दिलवाना

*1243. श्री महा नंद सिंह (अरवल)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अरवल जिलान्तर्गत करपी प्रखण्ड के ग्राम-छक्कन बिगहा निवासी श्री सुनील चन्द्रवंशी की हत्या 6 माह (09 सितम्बर, 2024) से ज्यादा दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक मुख्य हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि पीड़ित परिवार दहशत में है और उन्हें भी हत्या करने की धमकी दी जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्व0 सुनील चन्द्रवंशी के हत्यारों को गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा दिलवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच कराना

*1244. श्री प्रेम शंकर प्रसाद (बैकुंठपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि छपरा जिला के गौरा थाना कांड सं0-134/2024 को पुलिस आरोपियों से सांठ-गांठ कर रफा-दफा कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त केस के सूचिका के द्वारा दिनांक 24 अक्टूबर, 2024 को आरक्षी अधीक्षक, छपरा को शपथ-पत्र के साथ आवेदन दी थी कि हमारे साथ शारीरिक शोषण किया गया है, थाना कुछ भी नहीं कर रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आरक्षी उप-महानिरीक्षक, सारण रेंज, छपरा से उक्त कांड का जाँच कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1245. श्री आफाक आलम (कसबा, पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत जलालगढ़ प्रखण्ड के गेहुआ पंचायत के बहाव के घर से पूरब बीच गाँव में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है; यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना:
दिनांक 17 मार्च, 2025 (ई0)।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा।

बि०स०मु० 89(एल०ए०), 2024-25-डी०टी०पी०-600

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2025